भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1885
(12 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' के तहत मजदूरी के भुगतान में विलम्ब

1885. श्री संजय सिंहः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जब तक कि द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निधि अंतरण आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्कीम प्रबंधन सूचना प्रणाली केवल मजदूरी में हुए विलम्ब की गणना करती है;
(ख) क्या कारण है कि मंत्रालय 'मनरेगा' मजदूरी भुगतान में विलम्ब की पूरी सीमा तक गणना नहीं करता है; और
(ग) मजदूरी विलम्ब के समय की गणना करने हेतु अपूर्ण तौर-तरीकों में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राम कृपाल यादव)

(क) से (ग): मंत्रालय कार्यक्रम एमआईएस में (एफटीओ पर हस्ताक्षर से पहले और बाद में) मजदूरी भुगतान में विलंब की सतत् निगरानी करता रहा है। भुगतान प्रक्रिया के दो चरण हैं: **प्रथम चरण** में एफटीओ निकालने और इस पर द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने तक की स्थिति की गणना होती है और **दूसरे चरण** में द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एफटीओ पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद लाभार्थियों के खाते में मजदूरी के भुगतान तक की स्थिति की गणना की जाती है। मंत्रालय संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ दो हिस्सों की सतत् निगरानी करता रहा है।

*****